संख्या- 03 / 2021 / 1856 /चार-2020-33 (बजट)/ 2015

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइबल गैलरी के निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पत्र संख्या-354(iv)/नौ-21/2014-15 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइबल गैलरी के निर्माण कराये जाने हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1219.51 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 1097.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्क्रम में निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्यो के अन्तर्गत रू0 278.05 लाख के पुनरीक्षित आगणन को मूल आगणन रू0 1219.51 लाख में शामिल करते हुए कुल रू0 1497.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ धनराशि रू0 224.63 लाख (रूपये दो करोड चौबीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-27/2016/87/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 15 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-140/2016/1144/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 03 अगस्त, 2016 , शासनादेश संख्या-18/2017/2750/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 07 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या-55/2018/779/चार-2018-33(बजट)/2015 दिनांक 24 मार्च, 2018 में तथा शासनादेश संख्या- 111 /2018 / 3109 /चार-2018-33 (बजट)/ 2015 दिनांक लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -33-उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/ दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या- 03 / 2021 / 1856 /चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
6- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्ध, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, हरदोई।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।